

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा , आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 34/2016

सायल :-

बनाम

गै०सा० :-

1. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

1. सिद्धी विनायक सीमेन्ट उद्योग लि०
मैसर्स चिमनभाई पुत्र पोपटभाई
रफालिया हाल-निम्बोल
2. मैसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डिंग
कन्सट्रक्सन प्रा०लि० 90बी
बी.एस. पी मुकर्जी रोड कलकता
जरिये लक्ष्मणभाई पुत्र मोहनभाई
सोजीतरा
3. तेजाभाई पुत्र जेठाभाई
कौम-वणकार(हरिजन)
सा०-धुरिया आगरिया
तहसील-राजूला, जिला-अमरेली(गुजरात)
4. मगनभाई पुत्र तेजाभाई
कौम-वणकार(हरिजन)
सा०-धुरिया आगरिया
तहसील-राजूला, जिला-अमरेली(गुजरात)
5. जीवाभाई पुत्र कृष्णभाई
कौम-वणकार(हरिजन)
सा०-धुरिया आगरिया
तहसील-राजोला, जिला-अमरेली(गुजरात)
6. शांति पत्नि धन्ना
कौम-ढ़ोली, निवासी-निम्बोल
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) (डी) सीपीसी

तारीख रजु: 01/03/2016

- उपस्थितः
1. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
 2. श्री सुरेश चौधरी एवं श्री देवेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्तागण, गै०सा०।


-:: निर्णय ::-

दिनांक: 22/11/2017

वकील मय गै०सा० ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) (डी) सीपीसी के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादीगण संख्या 01 कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीबद्ध लिमिटेड कम्पनी हैं, जिसका वर्तमान नाम निरमा लिमिटेड निम्बोल हैं एवं इसका पूर्ववर्ती नाम मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड हैं एवं मुख्यालय निरमा हाऊस आश्रम रोड अहमदाबाद 380009 गुजरात हैं। तत्पश्चात् इस कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निवेदन पर माननीय गुजराज उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20/04/2015 के तहत इस कम्पनी का समागम वादी संख्या 01 कम्पनी मैसर्स निरमा लिमिटेड में हो गया हैं। जिसका मुख्यालय निरमा हाऊस आश्रम रोड अहमदाबाद 380009 गुजरात हैं तथा इसी का एक सीमेन्ट प्लान्ट ग्राम-निम्बोल, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में संचालित हैं। इस

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सीमेन्ट प्लान्ट के विधिक कार्यवाहीयों की देखरेख हेतु एवं इन कार्यवाहीयों से सम्बन्धित जबाब देने बाबत बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने प्रस्ताव लेकर के ग्राम-निम्बोल, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित इस सीमेन्ट उद्योग के महाप्रबन्ध विधि श्री अजय खुशु को अधिकृत किया हुआ है एवं उक्त व्यक्ति इस कम्पनी की विधिक कार्यवाहीयों के बाबत जानकारी रखते हैं एवं भारतीय नागरिक हैं। जिसके अधिकार पत्र की प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। प्रार्थी तहसीलदार जैतारण की ओर से इस प्रार्थना पत्र के जरिये यह उल्लेखित किया है कि राजस्व मौजा-निम्बोल में स्थित भूमि खसरा नम्बर 423 रकबा 12-14 बीघा को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आगे से आगे हस्तान्तरण होते हुए मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेन्ट द्वारा खरीदा गया है एवं उक्त भूमि का भू-रूपान्तरण वास्ते औद्योगिक प्रयोजनार्थ सीमेन्ट उद्योग हेतु हो चुका है एवं मौके पर सीमेन्ट उद्योग स्थापित किया जाकर वर्तमान में प्लान्ट चालू हालत में है तथा इस प्रकरण में यह भी स्वीकृतशुदा स्थिति है कि प्रार्थी मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेन्ट ने उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ खरीद की है एवं उक्त भूमि खरीद करने से पूर्व माफिक पंजीबद्ध बेचान विलेख के अनुसार राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि भी तहसीलदार जैतारण द्वारा ही नामान्तरकरण की कार्यवाहीयां की गई थी एवं नामान्तरकरण की कार्यवाहीयों के उपरान्त भू-रूपान्तरण किये जाने के बाबत आवेदन पत्र भी राज्य सरकार के समक्ष पेश किये गये थे। जिस पर जिलाधीश महोदय, पाली के निर्देशानुसार श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय जैतारण एवं श्रीमान् तहसीलदार जैतारण एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार जांच करवाये जाने के उपरान्त भूमि का भू-रूपान्तरण किये जाने की अनुशंसा समय-समय पर की गई थी। जिसके बाबत दस्तावेजी सबूत इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है एवं कालान्तर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिलाधीश महोदय, पाली द्वारा नियमानुसार व विधिक प्रावधानों अनुसार कृषि भूमियों का अकृषि प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण अधिनियम 2007 के प्रावधानों अनुसार भूमियां वास्ते औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण की जा चुकी है व इस बाबत नियमानुसार भू-रूपान्तरण शूल्क भी जमा करवाया जा चुका है तथा इन समस्त तथ्यों की तहसीलदार जैतारण को भलिभांति जानकारी है। इस प्रकार से यह स्वीकृतशुदा स्थिति है कि उक्त भूमि वर्तमान में कृषि भूमि नहीं रही है एवं न ही मौके पर कृषि कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के तहत राजस्व न्यायालय द्वारा जो प्रकरण सुने व विचारण किये जाने योग्य हैं। उसमें यह मामला नहीं आता है तथा भूमि का भू-रूपान्तरण हो जाने से राजस्व न्यायालय को इस प्रकरण में कोई सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(24) के तहत भूमि से अभिप्राय उस भूमि से होगा जो कृषि कार्य, उपवन, चारागाह व उन पर निर्मित मकान, बाड़े, सिंचाई के प्रयोजनार्थ भूमियों से होगा। जबकि इस प्रकरण में विर्णित भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरणशुदा भूमि है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता है। इसलिए अदालत श्रीमान् को इस प्रकरण में कोई क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। विबंद्ध के सिद्धान्तानुसार इस प्रकरण में विर्णित भूमियों के बेचान उपरान्त नामान्तरकरण की कार्यवाही भू-रूपान्तरण की कार्यवाहीयां स्वयं राज्य सरकार एवं उनके प्रतिनिधि तहसीलदार जैतारण द्वारा ही की गई है एवं अपने द्वारा की गई कार्यवाहीयों से भी सायल स्वयं पाबन्द हैं। उसके विपरित किसी भी प्रकार का कोई उजर नहीं लेने हेतु भी तहसीलदार स्वयं पाबन्द हैं। इसलिए तहसीलदार जैतारण को


उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

इस प्रकरण में कोई बिनाय वाद मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेन्ट के विरुद्ध प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भी यह कार्यवाही काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(ख) के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अपनी भूमियों का हस्तान्तरण गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में यह स्वीकृतशुदा स्थिति है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित वर्ग की घोषित जातियों की सूची में एवं राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित वर्ग की घोषित जातियों की सूची में भूमि का खरीददार आता है। इसलिए भी बेचान विलेख विधिक प्रावधानों अनुसार निष्पादित हुये हैं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(ख) के तहत बेचान हस्तान्तरण करने में कोई विधिक बाधा व अड़चन भी नहीं है। जहां विधि की स्थिति स्पष्ट हो ऐसे मामलों में परिपत्र कोई मायने नहीं रखता है। इस प्रकार से सायल / वादी की ओर से प्रस्तुत यह कार्यवाही बाई बाई लॉ है। जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा पेश की गई। कार्यवाही के समर्थन में पक्षकार का शपथ-पत्र एवं उस शपथ-पत्र का सत्यापन भी किया जाना आवश्यक है, इस प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की ओर से न तो शपथ-पत्र प्रस्तुत हुआ है एवं न ही उसका सत्यापन ही किया गया है। इसलिए भी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। इस प्रकरण में सायल / वादी ने वर्ष 2015 को बिनाय वाद प्राप्त होने का उल्लेख किया है। जबकि बेचान विलेख वर्षों पूर्व ही हो चुके हैं। इसलिए भी सायल / वादी को गै०सा० / प्रतिवादी के विरुद्ध कोई बिनायवाद प्राप्त नहीं होता है एवं यह कार्यवाही बाई बाई लॉ है।

गै०सा० संख्या 01 व 05 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। गै०सा० संख्या 2 से 5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील गै०सा० ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) (डी) सीपीसी का पेश किया। सरकारी पैरोकार प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नहीं कर बहस हेतु तैयार होने से बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) (डी) सीपीसी पर सरकारी पैरोकार व वकील गै०सा० की सुनी गई।


बहस समाप्त की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस सरकारी पैरोकार व वकील गै०सा० पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सरहद मौजा-निम्बोल में स्थित खसरा नम्बर 423 रकबा 12-14 बीघा जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 अनुसार नामान्तरकरण संख्या 2746 दिनांक 23/07/2012 एवं 2906 दिनांक 12/04/2013 रूपान्तरकरण से पूरे खाते की किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ (सीमेन्ट उद्योग) दर्ज की गई हैं। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(ख) के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अपनी भूमियों का हस्तान्तरण गैर अनुसूचित / स्वर्णजाति के व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में किसी गैर अनुसूचित जाति / स्वर्ण जाति के व्यक्तियों के बेचान / हस्तान्तरण नहीं हुआ है तथा उक्त आराजी की किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ (सीमेन्ट उद्योग) दर्ज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(24) के तहत भूमि से अभिप्राय उस भूमि से होगा जो कृषि भूमि, उपवन, चारागाह व उन पर निर्मित मकान, बाड़े, सिंचाई के प्रयोजनार्थ से होगा। जबकि इस प्रकरण में वर्णित भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरणशुदा भूमि है। जिस पर राजस्थान काश्तकारी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अधिनियम लागू नहीं होता है। बेचान विलेख प्रावधानों अनुसार निष्पादित हुये हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(ख) के तहत बेचान हस्तान्तरण करने में कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाना एवं वकील गै0सा0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 नियम 11(ए) (डी) सीपीसी का स्वीकार करना उचित समझते हैं।


--:: आदेश ::--

अतः वकील गै0सा0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 नियम 11(ए) (डी) सीपीसी का स्वीकार किया जाता है एवं सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्त पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।


उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (प्रति) एण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 22/11/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (प्रति) एण
जिला-पाली (राज0)

